



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249740
CG-DL-E-27102023-249740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 733]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2023

सं.-एल-1/250/2019/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 है।
- (2) ये विनियम दिनांक 1.11.2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 का संशोधन:

- (1) मूल विनियमों के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (झ) के बाद एक नया उप-खंड (झ-ii) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(झ-ii) ‘डीमड सीओडी’ से

- (क) विनियमित टैरिफ तंत्र के अधीन पारेषण प्रणाली या उसके घटक के लिए, केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 27(1)(ग)(i) के चौथे परंतुक या टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 4 के खंड (3) के परंतुक (ii) या टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 5 के खंड (2) के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण प्रणाली या उसके घटक की सीओडी, या
- (ख) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन पारेषण प्रणाली या उसके घटक के लिए, केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 27(1)(ग)(i) के पाँचवे परंतुक के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित या दिनांक 1.10.2023 से पूर्व पारेषण सेवा करार के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित पारेषण प्रणाली या उसके घटक की डीमड सीओडी अभिप्रेत है।”

3. मूल विनियमों के विनियम 11 का संशोधन:

मूल विनियमों के विनियम 11 के खंड (3) में शब्दों “इन विनियमों के अनुबंध-III के खंड (2) के उप-खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्रभारों के समायोजन के बाद” को शब्दों “इन विनियमों के विनियम 13 के खंड (12) के उप-खंड (ग) के अनुसार समायोजन से पहले अनुबंध-III के खंड (2) के उप-खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्रभारों के समायोजन के बाद” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 12 का संशोधन:

- (1) मूल विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) में शब्दों “आगामी विलिंग माह” से पहले निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:

“इन विनियमों के विनियम 13 के खंड (12) के उप-खंडों (ग) और (ज) के अनुसार ऐसे प्रभारों के समायोजन के बाद”।

5. मूल विनियमों के विनियम 13 का संशोधन:

- (1) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (3) के मुख्य उपबंध में “में विलंब होता है” शब्दों के स्थान पर “हासिल नहीं की है” शब्दों को रखा जाएगा।

- (2) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (12) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(12) इन विनियमों के विनियम 13 के खंडों (3), (6) या (9) के अधीन कवर किए गए मामलों के अलावा के लिए, डीमड सीओडी के रूप में अनुमोदित या घोषित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके घटक के लिए वाईटीसी का व्यवहार निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को डीमड सीओडी की तारीख से छह (6) मास या वास्तविक विद्युत प्रवाह के आरंभ तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उसकी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के वाईटीसी के 50% का भुगतान किया जाएगा।

(ख) अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सातवें (7वें) मास से वास्तविक विद्युत प्रवाह के आरंभ तक उसकी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के वाईटीसी का 100% का भुगतान किया जाएगा, यदि डीमड सीओडी की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर वास्तविक विद्युत प्रवाह आरंभ नहीं होता है।

(ग) इस खंड के उप-खंडों (क) और (ख) के अधीन प्रभारों को इन विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) के अनुसार वसूल किए गए प्रभारों में से संवितरित किया जाएगा:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) के अनुसार वसूली में कमी के मामले में, इस विनियम के उप-खंडों (क) और (ख) के अधीन भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष का भुगतान, इन विनियमों के विनियम 11 के खंड (3) के अनुसार टी-जीएनए और टीजीएनए^{आरई} के अधीन वसूल किए गए प्रभारों में से किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस विनियम के उप-खंडो (क) और (ख) के अधीन भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टी-जीएनए और टीजीएनए^{आरई} के अधीन वसूल किए गए प्रभारों में कमी के मामले में, शेष का भुगतान डीएसएम विनियमों के अधीन विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल खाते में से किया जाएगा।

(घ) इस खंड के उप-खंड (क), (ख) और (ग) उस ट्रांसफॉर्मर घटक (इन विनियमों के विनियम 7 के अधीन यथा परिभाषित) के अधीन कवर किए गए पारेषण घटकों के लिए लागू नहीं होंगे, जिसे डीमड सीओडी की तारीख से राज्य के संबंधित अदाकर्ता डीआईसी को बिल किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर घटक के अधीन कवर किए गए ऐसे पारेषण घटकों के पृथक वार्षिक पारेषण प्रभारों की अनुपलब्धता के मामले में, इन विनियमों के विनियम 7(1) के अनुसार सीटीयू द्वारा इसका पता लगाया जाएगा।

(ङ) यदि कोई अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, डीमड सीओडी हासिल कर चुके अन्य अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में विद्युत प्रवाह के आरंभ में विलंब के लिए उत्तरदायी है, तो विलंबित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी विलंबित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के सीओडी हासिल करने तक अपनी पारेषण प्रणाली के वाईटीसी के 50% या डीमड सीओडी प्राप्त कर चुकी पारेषण प्रणाली के वाईटीसी के 50%, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा:

परंतु यह कि पारेषण सेवा करार या पार्टियों के बीच लागू किसी अन्य करार में इसके विपरीत किसी उपबंधों के बावजूद, इस खंड के अधीन विलंबित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की देयता प्रभावित नहीं होगी:

परंतु यह और कि यदि विलंबित अंतर-राज्यिक अनुज्ञप्तिधारी को सीटीयूआईएल के साथ किए गए पारेषण सेवा करार के अनुसार पारेषण प्रणाली को पूरा करने में विलंब के लिए परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाता है, तो ऐसे अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीटीयू को भुगतान किए गए परिनिर्धारित हर्जाने की राशि को इस खंड के अनुसार विलंबित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की देयता की सीमा तक ऑफसेट किया जाएगा और शेष राशि को, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) के अधीन प्रादेशिक पारेषण विचलन खाते में जमा किया जाएगा।

(च) यदि कोई अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी डीमड सीओडी प्राप्त कर चुकी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में विद्युत प्रवाह के आरंभ में विलंब के लिए उत्तरदायी है, तो विलंबित अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली का ऐसा अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विलंबित अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के वाईटीसी का 50% या डीमड सीओडी हासिल कर चुकी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की वाईटीसी के 50% (इस खंड के उप-खंड (घ) के अधीन कवर किए गए पारेषण घटकों को छोड़कर), जो भी कम हो, का भुगतान करेगा:

परंतु यह कि इस खंड के उप-खंड (घ) के अधीन कवर किए गए पारेषण घटकों के मामले में, इस उप-खंड के अधीन प्रभारों को अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं लगाया जाएगा:

परंतु यह और कि जहाँ विलंबित अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली की वाईटीसी उपलब्ध नहीं है वहाँ सीटीयू, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में समान अभिविन्यास की सूचक पूंजीगत लागत के आधार पर, इस खंड के उद्देश्य हेतु, ऐसी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए वाईटीसी का पता लगाएगी।

(छ) इस खंड के उप-खंडों (ङ) और (च) के अनुसार प्रभारों की विलिंग और वसूली इन विनियमों के विनियम 15 के खंड (3) के अनुसार की जाएगी।

(ज) इस खंड के उप-खंड (छ) के अनुसार वसूल किए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति इन विनियमों के विनियम 12 के खंड (3) के अनुसार की जाएगी।

(झ) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के मामले में, प्रथम संविदा वर्ष उस तारीख से आरंभ होगा जब ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 5

से 8 के अधीन या इस खंड के उप-खंड (ख) के अधीन वाईटीसी का 100% प्राप्त करना आरंभ कर देगा।”

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./515/2023-24]

नोट:

- (1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.243 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.07.2020 को प्रकाशित हुए थे।
- (2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.149 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.03.2023 को प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2023

No. L-1/250/2019/CERC.— In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (2) These regulations shall come into effect from 1.11.2023.

2. AMENDMENT TO REGULATION 2 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:

- (1) A new sub-clause (i-i) shall be added after sub-clause (i) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(i-i) ‘Deemed COD’ means

- (a) for the transmission system or an element thereof under the regulated tariff mechanism, COD of the transmission system or an element thereof approved by the Commission in terms of fourth Proviso to Regulation 27(1)(c)(i) of CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 or proviso (ii) of Clause (3) of Regulation 4 of the Tariff Regulations, 2014 or Clause (2) of Regulation 5 of the Tariff Regulations, 2019, or
- (b) for the transmission system or an element thereof under the Tariff Based Competitive Bidding, deemed COD of the transmission system or an element thereof, declared by the transmission licensee, in terms of fifth Proviso to Regulation 27(1)(c)(i) of CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 or declared by the transmission licensee in terms Transmission Service Agreement prior to 1.10.2023

3. AMENDMENT TO REGULATION 11 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:

- (1) The words “after adjustment of such charges as per sub-clause (d) of Clause (2) of Annexure-III to these regulations” in Clause (3) of Regulation 11 of the Principal Regulations, shall be substituted with words “after adjustment of such charges as per sub-clause (d) of Clause (2) of Annexure-III followed by adjustment as per sub-clause (c) of Clause (12) of Regulation 13 of these regulations”.

4. AMENDMENT TO REGULATION 12 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:

- (1) The following words shall be inserted after the words “billing month” in Clause (3) of Regulation 12 of the Principal Regulations:
 “after adjustment of such charges as per sub-clauses (c) and (h) of Clause (12) of Regulation 13 of these regulations.”

5. AMENDMENT TO REGULATION 13 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:

- (1) The words “is delayed” in the main provision of Clause (3) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted with the words “has not been achieved”.
- (2) Clause (12) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(12) For the cases other than those covered under Clauses (3), (6) or (9) of Regulation 13 of these regulations, the YTC for the inter-State transmission system or element thereof approved or declared as deemed COD shall be treated as follows:

- (a) The inter-State transmission licensee shall be paid 50% of YTC of its inter-State transmission system for a period of six (6) months from the date of deemed COD or till the commencement of actual power flow, whichever is earlier.
- (b) The inter-State transmission licensee shall be paid 100% of YTC of its inter-State transmission system from the seventh (7th) month till the commencement of actual power flow, in case actual power flow does not commence within a period of 6 months from the date of deemed COD.
- (c) The charges under sub-clauses (a) and (b) of this Clause shall be disbursed from charges collected in terms of Clause (3) of Regulation 12 of these regulations:

Provided that in case of shortfall in the collection in terms of Clause (3) of Regulation 12 of these regulations, to meet the requirement of payment under sub-clauses (a) and (b) of this Regulation, the balance shall be paid from charges collected under T-GNA and TGNA_{RE} in terms of Clause (3) of Regulation 11 of these regulations:

Provided further that in case of shortfall in charges collected under T-GNA and TGNA_{RE} to meet the requirement of payment under sub-clauses (a) and (b) of this Regulation, the balance shall be paid from Deviation and Ancillary Service Pool Account under DSM Regulations.

- (d) Sub-clause (a), (b) and (c) of this Clause shall not be applicable for transmission elements covered under the Transformer component (as defined under Regulation 7 of these regulations) which shall be billed to respective drawee DIC of the State from the date of deemed COD. In case of non-availability of separate Yearly Transmission Charges of such transmission elements covered under the transformer component, the same shall be worked out by CTU in terms of Regulation 7(1) of these regulations.
- (e) In case an inter-State transmission licensee is responsible for the delay in the commencement of power flow in the inter-State transmission system of another inter-State transmission licensee which has achieved deemed COD, inter-State transmission licensee of the delayed inter-State transmission system shall pay 50% of YTC of its transmission system **OR** 50% of YTC of the transmission system which has achieved deemed COD, whichever is lower, till its delayed inter-State transmission system achieves COD:

Provided that the liability of the delayed inter-State transmission licensee under this Clause shall not be affected, notwithstanding any provisions to the contrary in the Transmission Service Agreement or any other Agreement in force between the parties:

Provided further that if the delayed inter-State transmission licensee is levied liquidated damages for delay in completion of the transmission system in terms of the Transmission Service Agreement entered into with CTUIL, the amount of liquidated damages paid by such inter-State transmission licensee to CTU shall be offset to the extent of liability of the delayed inter-State transmission licensees in terms of this Clause and the balance amount, if any, shall be credited into Regional Transmission Deviation account under Clause (3) of Regulation 12 of these regulations.

- (f) In case an intra-State transmission licensee is responsible for the delay in commencement of power flow in the inter-State transmission system which has achieved deemed COD, such intra-State transmission licensee of the delayed intra-State transmission system shall pay 50% of YTC of the delayed intra-State transmission system **OR** 50% of YTC of the inter-State transmission system which has achieved deemed COD (excluding transmission elements covered under sub-clause (d) of this Clause), whichever is lower, till the delayed intra-State transmission system achieves COD:

Provided that in case of transmission elements covered under sub-clause (d) of this Clause, charges under this sub-clause shall not be levied on the intra-State transmission licensee:

Provided further that where YTC of the delayed intra-State transmission system is not available, CTU shall work out the YTC for such intra-State transmission system, for the purpose of this clause, based on the indicative capital cost of similar configuration in the inter-State transmission system.

- (g) The billing and collection of the charges in terms of sub-clauses (e) and (f) of this Clause shall be made in accordance with Clause (3) of Regulation 15 of these regulations.
- (h) The charges collected as per sub-clause (g) of this Clause shall be reimbursed in terms of Clause (3) of Regulation 12 of these regulations.
- (i) In case of inter-State transmission system under Tariff based Competitive Bidding, the first contract year shall commence from the date when such transmission licensee starts receiving 100% of YTC under sub-clause (b) of this Clause or under Regulations 5 to 8 of these regulations.”

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./515/2023-24]

Note:

- (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 were published on 01.07.2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 243.
- (2) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 01.03.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 149.